के मण्डल प्रबन्धक प्रवीण कुटुम्बले, सहायक महाप्रबन्धक एम पी वर्मा व नई दिल्ली के मुख्य सर्तकता अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर 6 फरवरी 2018 को एजेन्ट मनोज ने पुन: ई-मेल किया व गिफ्ट कार्ड न मिलने की जाँच के लिये लिखा जिसकी प्रतिलिपि भी पूर्व अनुसार उच्चाधिकारीयों को दी।

इस मामले में जब बार बार शिकायत की जाने लगी तो शाखा प्रबन्धक गवलाना व एजेन्सी मेनेजर ने विकास अधिकारी कैथवास व एजेन्ट मनोज पुरी पर दबाव बनाकर परेशान करने लगे उनके बीमा कार्य में अवरोध पैदा करने के साथ कार्यालय की एक महिला अधिकारी से उनकी शिकायत करने की धौस देने लगे व कहने लगे कि महिला अधिकारी के पिता पुलिस विभाग में उच्चाधिकारी है आप पर झूठा मुकदमा लगाकर फंसा देगे।

मामला बनते न देख वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक गवलाना व एजेन्सी मेनेजर नवीन दुबे ने एजेन्ट मनोज को कार्यालय में बुलाया और कहाँ कि कंपनी आपको कंपनी कैश इनसेन्टीव दे रही है और उसे नकद दस हजार रूपये देकर अंग्रेजी में लिखे दस्तावेजों पर साईन करवा लिये। इसके बाद एजेन्ट मनोज को इसकी जानकारी लगी कि कैश इनसेन्टीव दिये जाने का कंपनी में कोई प्रावधान नहीं है तो मनोज 30 मई 2018 को शाखा प्रबन्धक को इसकी शिकायत की व लिखा कि-'विनम्र निवेदन है कि मेरा गिफ्ट ए.टी.एम. कार्ड आज तक नहीं दिया गया है। कृपया देने का कष्ट करे मुझे 10000 (दस हजार रूपये) श्री नवीन दुबे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह कह कर दिये गये कि उक्त राशी मेरी केश इनसेन्टीव है। अत: जो मुझे इनसेन्टीव मिलने वाला था। वह दिये गये थे। जबकी यह राशि मेरे खाते से श्री जी.एल. गवलाना द्वारा मेरे एकाउंट से बैंक ए.टी.एम.के माध्यम से निकाल ली थी। उसका भुगतान किया गया था। मुझे यह कहकर एक अंग्रेजी के वाउचर पर साईन कराये गये थे कि उक्त दि गई 10000/- की राशि कि प्राप्ति है। इस कारण मैंने साईन कर दिया गया। जो कि मुझे धोखे में रखकर साईन करवाये गये है। इस संबंध में मण्डल प्रबन्धक मण्डल कार्यालय क्रमांक-1 इन्दौर को भी लिखित आवेदन दे चुका है'। इस पत्र की प्रतिलिपि मण्डल प्रबन्धक प्रवीण कुटुम्बले व सहायक महा प्रबन्धक एम पी वर्मा को दी।'

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व नाम न छापने की शर्त पर कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक अपने अधिनस्थ अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों से उनका एटीएम कार्ड मांगकर उसका उपयोग भी वे स्वयं करते है इस संबंध में एजेन्ट मनोज से भी एटीएम कार्ड मांगा तथा उससे भी धनराशी निकाली गई।

सूत्रों की माने तो पहले गवलाना अच्छे लोकसेवक की श्रेणी में आते है लेकिन जब वे मन्दसौर में पदस्थ थे तब उन्होंने एक एलआईसी कर्मचारी से दोस्ती हो गई और इसी बात का फायदा उस कर्मचारी आज तक उठा रहा है। सौ सुनार की एक लुहार की बात उन पर चरिचार्थ हो गई।

मनोज ने 18 मई 2018 को भारत के मुख्य सर्तकता आयुक्त नई दिल्ली को इसकी दस्तावेजों सहित शिकायत की तथा मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक गवलाना व एजेन्सी मेनेजर नवीन दुबे के खिलाफ आपराधिक व विभागीय कार्यवाही करने का लिखा।

इस संपूर्ण घोटाले की जानकारी एजेन्ट मनोज ने सेन्सर टाइम्स को दी जिसके आधार पर सेन्सर टाइम्स ने 22 मार्च 2018 को कंपनी के चेयरमेन एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी एम पी नागपाल सहित कई अधिकारीयों को सूचना पत्र देकर आर्थिक घोटाले में लिप्त दोनों अधिकारीयों पर आपराधिक एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने का लिखा था लेकिन इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह मामला आपराधिक दुर्विनियोग/गबन का बनता है क्योंकि वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक गवलाना व एजेन्सी मेनेजर नवीन दुबे जिसे कंपनी ने एजेन्ट मनोज को गिफ्ट कार्ड देने के लिये अधिकृत किया था उन्होंने गिफ्ट कार्ड एजेन्ट मनोज को न देकर उसका उपयोग निजि हित में कर कंपनी के लोकधन को को निजि हित में उपयोग किया। उक्त कार्ड का उपयोग गवलाना ने इन्दौर में भी किया। भारतीय दण्ड विधान में गबन के आरोपी को संरक्षण देने वाले को भी सजा का प्रावधान है।

मामला ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी का

न्यायालय ने आरोपी बी के सरकार और डॉ व्ही एन भार्गव का उन्मोचन करने का आवेदन निरस्त

इन्दौर: ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के पूर्व जनरल मेनेजर और बोर्ड ऑफडायरेक्टर बी के सरकार और पूर्व सहायक महा प्रबन्धक डॉ व्ही एन भार्गव जिनके विरूद्ध इन्दौर के जिला अदालत में आपराधिक मुकदमा चल रहा है उस प्रकरण इन दोनों आरोपीगण ने आरोप पूर्व प्रकरण से डिस्चार्ज किये जाने के आवेदन पत्र को माननीय सप्तम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विवेक सक्सेना ने निरस्त कर दिया।

बी के सरकार एवं डॉ व्ही एन भार्गव पर इन्दौर की जिला अदालत में एक आपराधिक प्रकरण भारतीय दण्ड सहिता की धारा-420, 467,468,471 एवं 120-बी के तहत विचाराधीन है। इन पर आरोप है कि वर्ष 1999 में जब वे इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक व प्रबन्धक के पद पर पदस्थ थे, इन्होंने होटल कंचन तिलक के मेनेजर तेजीन्दरसिंह के साथ सांठगांठ कर ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी साथ एक आपराधिक षडयंत्र की रचना कर कंपनी के साथ बेईमानीपूर्वक छल कर फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया तथा उसका उपयोग असल दस्तावेज के रूप में किया। इस मामले में इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व उपप्रबन्धक डॉ आर के पुरी भी आरोपी थे लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है।

इस आपराधिक प्रकरण में आरोपी बी के सरकार, डॉ व्ही एन भार्गव एवं डॉ आर के पुरी ने दिनांक-11-11-2000 को होटल कंचन तिलक होटल में एजेन्ट के ट्रेनिंग का आयोजन किये जाने के संबंध में होटल कंचन तिलक के मेनेजर से फर्जी बीलों को प्राप्त किया उसके आधार पर फर्जी वाउचर तैयार कर होटल कंचन तिलक को लगभग 15,000/- का भुगतान किया। सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में दस्तावेजों को प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि दिनांक-11-11-2000 को किसी भी प्रकार से एजेन्टों के ट्रेनिंग का आयोजन नहीं हुआ। इस मामले में न्यायालय में परिवाद सेन्सर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि कुमार ने एक प्रायवेट कंपलेंट प्रस्तुत की थी।

इस संबंध में आरोपी सरकार व भार्गव की और से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आरोप पूर्व उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की। अपने आवेदन के साथ आरोपीगण ने कंपनी के तत्कालीन मण्डल प्रबन्धक सुभाष तराणेकर, एम टी वावीसकर, बी के सरकार के निजि सचिव राजेन्द्र रिमझा और पूर्व हिन्दी अधिकारी हरीश शर्मा सहित अनेक एजेन्टों के शपथपत्र प्रस्तुत किये।

इसमें निजि सचिव राजेन्द्र रिमझा व पूर्व हिन्दी अधिकारी हरीश शर्मा ने भी दिनांक-11-11-2000 को ऐजेन्टों के ट्रेनिंग में भाग लेना दर्शाकर कंपनी से धनराशी प्राप्त की। अब ये दोनों अधिकारी भी परेशानी में आ सकते है क्योंकि जब कंपनी के रिकार्ड में इस दिन कोई एजेन्ट की ट्रेनिंग का आयोजन नहीं हुआ तो उन्हें किस बात का भुगतान प्राप्त किया।

माननीय न्यायालय न संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण का आवेदन निरस्त कर दिया।

इन्दौर की जिला अदालत की कुछ तसवीरे

ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व जनरल मेनेजर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी के सरकार जो एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के बाद अकेले ही वापस लौटे एक समय था जब कंपनी के कई अधिकारी, कर्मचारी व पेनल अधिवक्ता उनसे मिलने को तरसते थे व उसकी सेवा का लाभ लेना चाहते थे।

'वो एक शख्स जो तुझसे पहले यहाँ तख्तनशीं था।
उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीं था।।'

शाखा प्रबन्धक दस्तावेज नहीं देता है तो उसके उच्च अधिकारी को शिकायत करो लेकिन दस्तावेज लाओ-न्यायालय

इन्दौर: जिला न्यायालय में विचाराधीन एक आपराधिक मुकदमे में साक्षी को अपराध से संबंधीत दस्तावेज लेकर न्यायालय में उपस्थित होना था लेकिन साक्षी अपराध से संबंधीत दस्तावेजों को लेकर उपस्थित नहीं हुआ व बताया कि उन्हें शाखा प्रबन्धक से दस्तावेज देने का कहा लेकिन उन्हें दस्तावेज अभी नहीं मिल रहे है जिस पर न्यायालय में कड़ा रूख अपनाते हुए कहाँ कि यदि शाखा प्रबन्धक आपको दस्तावेज नहीं दे रहे है तो उसके उच्चाधिकारीयों से उसकी शिकायत करो लेकिन आगामी पेशी पर दस्तावेज पेश करो।

इन्दौर के जिला अदालत में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण रवि कुमार विरूद्ध विजय कनौजिया एवं अन्य में न्यायालय ने ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रशासनिक अधिकारी की साक्ष्य अंकित की गई तथा दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला कि जिन फाईलों के आधार पर विजिलेंस अधिकारी ने फाईलों को जप्त किया था उन फाईल का आर्थिक घोटाले से कोई संबंध नहीं था। न्यायालय ने साक्षी के कथन रोकने के बाद कंपलेंनेट रवि कुमार को यह निर्देश दिया कि वे आर्थिक घोटाले से संबंधीत वाउचरों को शाखा प्रबन्धक को देकर दे जिससे वे साक्षी को दस्तावेज उपलब्ध करा सके। शिकायतकर्ता रवि कुमार ने संपूर्ण विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट को शाखा प्रबन्धक को सौपकर दस्तावेजों का विस्तृत विवरण दिया। दो वर्ष पश्चात भी न्यायालय के आदेश का पालन शाखा प्रबन्धक ने नहीं किया व साक्षी को दस्तावेज प्रदान नहीं किये।

इस मामले में कंपलेनेंट रवि कुमार ने जिला अदालत में ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के पूर्व शाखा प्रबन्धक विजय कनौजिया ने क्लेम के साल्वेज का विक्रय कर अपनी लागइन आईडी में रसीद काटकर पैसा बैंक में जमा नहीं कर अपने पास रख लिया। वार्षिक लेखाबंदी के समय मामला पकडे जाने के डर से शाखा प्रबन्धक ने वरिष्ठ अधिकारीयों की मिलीभगत से ट्रायल बेंलेस में चेक डिसआनर बच नाट क्रेडिट वाले स्टेटमेंट में हेराफेरी कर गबन की धनराशी को एडजस्ट किया।

इस पूरे मामले में ओरिएण्टल बीमा कंपनी के विजिलेंस आफिसर की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि विजिलेंस अधिकारी ने कंपनी में प्रायोजित आर्थिक घोटले में उच्चाधिकारीयों को बचाने की नियत से फर्जी तथ्यों आधार पर रिपोर्ट तैयार की जिसका प्रकरण से कोई संबंध नहीं था और अधिकारीयों को बचाकर फर्जी विजिलेंस रिपोर्ट तैयार की।